'भाषा' शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है– बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है– उसे भाषा कहते हैं। अतः हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं

अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को 'भाषा' कहते हैं।

भाषा के रूप

भाषा के दो रूप होते हैं– मौखिक और लिखित

मौखिक भाषा – भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण– टेलीफ़ोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि।

लिखित भाषा – भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण पत्र, लेख, समाचार–पत्र कहानी, जीवनी आदि।

Scanned by CamScanner

भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है; जैसे– हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगू।

14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के काम–काज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई।

मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता व सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है।

बोली – भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियाँ है जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है।

Scanned by CamScanner